राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3327/2016

हरिराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, सीकर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.07.1975 को हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.02.1991 के द्वारा विभागीय कार्यवाही में एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को वर्ष 1996 एवं 1998 में सीसीए नियम–17 की कार्यवाही में आदेश दिनांक 27.06.1996 एवं आदेश दिनांक 19.03.1998 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि वित्त विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 25.01.1992 जारी कर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश पारित किये। अपीलार्थी उक्त परिपत्र के अनुसार दिनांक 25.01.1992 से 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, परंतु अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1996 से दिया गया, जबकि अपीलार्थी की केवल एक वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश पारित हुआ था। इस कारण से केवल एक वर्ष तक ही 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ रोका जा सकता था और प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1993 से दिया जाना चाहिए था, जो अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.07.1993 से दिया जाना चाहिए था, परन्तु यह लाभ भी अपीलार्थी

को दिनांक 29.07.1999 से दिया गया। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.07.2009 से दिया गया। जबकि अपीलार्थी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.07.2006 से प्राप्त करने का अधिकारी था।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को जिला कलेक्टर, सीकर के दण्डादेश क्रमांक 1185–89 दिनांक 5–2–1991 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवम् अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 1985–86, 1991–92 व 1992–1993 कुल तीन वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणीयां रही है। अतः अपीलार्थी को नियमानुसार 4 वर्ष पश्चात् अर्थात् दिनांक 25–1–1996 से प्रथम चयनित वेतनमान दिया गया है, जो कि पूर्णतः नियमानुसार है। अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा दिनांक 29–7–1993 को पूर्ण होना स्वीकार है। अपीलार्थी की वर्ष 1991–92 व 1992–93 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कुप्रविष्टियां होने से उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना द्वारा आदेश क्रमांक–249–51 दिनांक 8–7–1996 से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना द्वारा आदेश क्रमांक–249–51 दिनांक 8–7–1996 से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना के आदेश क्रमांक 252–54 दिनांक 8–7–1996 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार जिला कलेक्टर सीकर के आदेश क्रमांक 1042–46 दिनांक 19–3–1998 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित होने के कारण अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान 6 वर्ष बाद नियमानुसार दिनांक 29–7–1999 से दिया गया, जो कि पूर्णतः नियमानुसार है। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 29–7–1999 से दिया गया है। दिनांक 29–7–1999 से 9 वर्ष पश्चात् 27 वर्षीय चयनित वेतनमान अपीलार्थी को दिनांक 29–7–2008 को देय होता है, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना के आदेश क्रमांक 167–71 दिनांक 5–6–2003 से चेतावनी के दण्ड से दण्डित होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान एक वर्ष पश्चात् दिनांक 29–7–2009 से दिया गया, जो कि पूर्णतः नियमानुसार है।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सेवाकाल में निम्न प्रकार से दण्डित किया गया था :–

क्र.सं.	दिनांक	दण्ड
1.	05.02.1991	एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जाना
2.	08.07.1996	एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाना
3.	08.07.1996	परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित
4.	19.03.1998	परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित
5.	05.06.2003	चेतावनी के दण्ड से दण्डित

5. इसके अलावा अपीलार्थी को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में जो प्रतिकूल टिप्पणियां होना प्रत्यर्थी विभाग ने बताया है, वे वर्ष 1985–86, 1991–92 एवं 1992–93 के समय की रही है। हम यह पाते हैं कि परिनिन्दा की शास्ति को चयनित वेतनमान के लाभ को रोके जाने का आधार नहीं माना जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण 2011 डब्ल्यू एल सी (यू सी) 47 डीबी जिला कलेक्टर, टोंक बनाम विजय कुमार अरोड़ा में निर्धारित किया है कि केवल मात्र परिनिन्दा के आधार पर चयनित वेतनमान के लाभ को रोका या मूलतवी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी को जो चेतावनी दी गयी थी, उसके आधार पर भी अपीलार्थी को देय चयनित वेतनमान के लाभ को नहीं रोका जा सकता है। अपीलार्थी प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से देय था, जो अपीलार्थी की 9 वर्षीय संतोषजनक सेवा के लिये देय था। अपीलार्थी ने 9 वर्षीय सेवाकाल दिनांक 29.07.1984 को पूरा कर लिया था। अपीलार्थी के वर्ष 1985–86 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियां रही थी। ऐसे में अपीलार्थी को जो दिनांक 25.01.1992 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ देय था वह केवल एक वर्ष ही आगे किया जा सकता था। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.02.1991 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्ष 1985–86, 1991–92 एवं 1992–93 कुल 3 वर्षो में प्रतिकूल टिप्पणियां रही थी। इस कारण से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ 4 वर्ष आगे किया गया। हमारा मत है कि दण्डादेश दिनांक 05.02.1991 अपीलार्थी के प्रथम 9 वर्ष के सेवाकाल के दौरान नहीं था, बल्कि उसके बाद का था एवं वर्ष 1991–92, 1992–93 की प्रतिकूल टिप्पणियां 9 वर्षों के कार्य के दौरान नहीं थी। इस प्रकार अपीलार्थी के प्रथम चयनित वेतनमान के लाभ को एक के स्थान पर चार वर्ष आगे

किया जाना उचित नहीं था। अतः हम पाते है कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1993 से देय था।

6. जहां तक 18 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ देने का प्रश्न है तो अपीलार्थी ने 18 वर्ष की सेवा दिनांक 29.07.1993 को पूरी की थी। अपीलार्थी की वर्ष 1991–92, 1992–93 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियां थी। इस कारण से दो प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर अपीलार्थी का द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दो वर्ष आगे किया जा सकता था। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि वर्ष 1991–92 के वार्षिक कार्य मूंल्यान प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने से आदेश दिनांक 08.07.1996 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने तथा आदेश दिनांक 19.03.1998 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण 6 वर्ष आगे किया गया। हम यह पाते हैं कि द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 6 वर्ष आगे किया जाना उचित नहीं था क्योंकि परिनिन्दा के दण्ड के कारण माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए लाभ को आगे किया जाना उचित नहीं था। इसके अलावा अपीलार्थी ने 18 वर्ष की सेवा दिनांक 29.07.1993 को ही पूरी कर ली थी। इसके पश्चात दिये गये दण्डादेश को भी विचार में नहीं रखा जा सकता था। अतः हम पाते है कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ जो दिनांक 29.07.1993 को देय था वह दो प्रतिकूल टिप्पणियों वर्ष 1991–92, 1992–93 के आधार पर केवल दो वर्ष आगे किया जा सकता था। अतः अपीलार्थी दिनांक 29.07.1995 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

7. जहां तक 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रश्न है तो अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा दिनांक 29.07.2002 को पुरी कर ली थी। अपीलार्थी को दिनांक 08.07.1996 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का कथन प्रत्यर्थी विभाग ने किया है। इस प्रकार अपीलार्थी का तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ केवल एक वर्ष तक आगे किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि अपीलार्थी को चैतावनी दी गयी है, इस कारण से अपीलार्थी का चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष आगे किया गया था। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को दी गयी चेतावनी के कारण 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष आगे किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.07.2003 से प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

8. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1993, द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.07.1995 एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.07.2002 से प्रदान करें।
9. उपरोक्त आदेशानुसार वेतन का पुर्ननिर्धारण कर अपीलार्थी को एरियर की राशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अदा करें। उपरोक्त आदेश की पालना चार माह में सुनिश्चित की जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)